

AHO

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

११०१३

क्रमांक प.3(54)नविवि / 3 / 2011

जयपुर, दिनांक 26 SEP 2013

1. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त, राजस्थान।
5. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त) राजस्थान।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम (समस्त) राजस्थान।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (समस्त) राजस्थान।
8. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

क्रमांक
कृपया प्राप्त
करें
प्राप्त
मत
क्रमांक
मत
क्रमांक
मत

विषय :- "प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012-13" के दौरान दिनांक 30.9.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं छूटों के संबंध में दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भावितव्यपूर्ण की आज्ञा क्रमांक 193/2012 के अनुसारा में "प्रशासन शहरों के संग अभियान" के दौरान समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17.9.2012 तक अवधि हस्तके अनुसार द्वारा दिनांक 30.6.2013 तक अवधि दिनांक 30.9.2013 तक अभियान के दौरान अवधि दिनांक 30.6.2013 तक शिथिलताएं/छूटें दी जायें तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन भी किया गया है।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2.4.2013 द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012-13 की follow-up अवधि अब तक लागू सभी शिथिलताओं, छूटों तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, rebates, delegation of power etc.) के साथ दिनांक 31.3.2013 से बढ़ाकर दिनांक 30.6.2013 की गयी, तत्पश्चात् विभागीय समसंख्यक आदेशों द्वारा उक्त अवधि दिनांक 30 सितम्बर, 2013 निर्धारित कर उक्त शिथिलताएं/छूटें एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि दिनांक 30 सितम्बर, 2013 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर लागू माने जाने बाबत आदेश प्रसारित किये गये।

राज्य सरकार द्वारा सक्षम रत्नर पर लिए गए निर्णयानुसार दिनांक 30.09.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में विविध आदेशों के द्वारा अभियान के दौरान विभिन्न विषयों से जबंधित शिथिलताएं छूटें तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, rebates, delegation of power etc.) दिनांक 31.12.2013 तक प्रभावी होगा तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012-13 के दौरान दिनांक 30.09.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.12.2013 तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संभु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- २६ SEP 2013

१. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
२. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
३. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
४. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण (समस्त) (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग को छोड़ कर)
५. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
६. अति॒ मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन/ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज/उद्योग विभाग।
७. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/राजस्व/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/सार्वजनिक निर्माण/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/महिला एवं बाल विकास विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता।
८. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
९. संसरक जिला कलक्टर, राजस्थान।

अग्रिम राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

१०. अग्रिम राजस्थान सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, अग्रिम आवासन विकास विभाग।
११. रक्षित पत्रावली।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)

संयुक्त शासन दिनांक : सचिव--तृतीय

11/10/13

क्रमांक:- मुसप्र/2013/ ११८४

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

१. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
२. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
३. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता/निदेशक(विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
४. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, ~~प्रभुज्ञन~~/अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
५. उप आवासन आयुक्त वृत्त.....राजस्थान आवासन मण्डल,।
६. आवासीय अभियन्ता खण्ड.....राजस्थान आवासन मण्डल.....।
७. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाये एवं सभी उष आवासन आयुक्तगण एवं आवासीय अभियन्तागण को मेल करें।
८. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज० आ० मण्डल, जयपुर।
९. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक
9/10/13